बिहार सरकार
गृह विभाग
(कारा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 28 मई 2016

संख्या–बंदी/अ०मु०–01–05/2014–3195/कारा अधिनियम, 1894 (अधिनियम 9 1894) की धारा 59 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 432 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारा हस्तक, 2012 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, :–

1. नियम 476 का संशोधन:– बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 476 में प्रयुक्त वाक्यांश "कारा अधीक्षक के टिप्पण" एवं "पुलिस अधीक्षक और परिवीक्षा पदाधिकारी की अनुशंसाओं" के बाद निम्न वाक्यांश अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
"न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश (जिसके समक्ष दोषसिद्धि हुई थी या जिसके द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी) का मंतव्य,"
2. नियम 479 का संशोधन:– बिहार कारा हस्तक, 2012 का नियम 479 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
" 479. पर्षद द्वारा एक या अधिक बार बंदी की समय पूर्व मुक्ति के मामले की अस्वीकृति इस पर पुनर्विचार करने में बाधा नही होगी। फिर भी एक बार अस्वीकृत किसी सजायाफ्ता के मामले पर पुनर्विचार एक वर्ष या पर्षद द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् ही, किन्तु इसके अंतिम विचारण की तिथि से तीन वर्षों के भीतर किया जाएगा। ऐसे पुनर्विचार के लिए पुलिस अधीक्षक का नया प्रतिवेदन आवश्यक होगा। तथापि, यदि मामला तीन वर्षों के बाद पुनर्विचार के लिए लिया जाता है तो जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा परिवीक्षा पदाधिकारी से नया प्रतिवेदन एवं न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश (जिसके समक्ष दोषसिद्धि हुई थी या जिसके द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी) का नया मंतव्य प्राप्त किया जाएगा।"
3. नियम 480 का संशोधन–बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 480 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–
"परन्तु जब दण्डादेश किसी ऐसे अपराध के लिए दिया गया हो –

(क) जिसका अन्वेषण किसी केन्द्रीय जाँच एजेन्सी जैसे, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा किया गया हो; अथवा

(ख) जिसमें केन्द्रीय सरकार की किसी सम्पत्ति का दुर्विनियोग या नाश या नुकसान अन्तर्ग्रस्त हो; अथवा

(ग) जो केन्द्रीय सरकार की सेवा के किसी व्यक्ति के द्वारा तब किया गया हो, जब वह अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या उसका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित था; अथवा

(घ) जिनमें कुछ ऐसे विषय भी संबंधित हों जिनपर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो,

तो उपर्युक्त खंड (क) से (घ) में वर्णित मामलों के संबंध में दण्डादेश परिहार के लिए आदेश, संघ सरकार की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् दी जाएगी।

(ङ.) उपर्युक्त खंड (क) से (घ) के मामलों में पर्षद का सदस्य–सचिव, सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा के पश्चात्, मामले से संबंधित अभिलेख केन्द्र सरकार को सहमति हेतु भेजेगा।

4. नियम 481 का संशोधन– (1) बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 481 के उपनियम (i) में, प्रयुक्त वाक्य "मृत्यु दंड प्राप्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433क के अधीन आच्छादित निम्नांकित कोटियों के सिद्धदोष परिहार सहित 20 वर्षों तक कारावास में रहने के बाद ही समय पूर्व मुक्ति हेतु विचार किए जाने के हकदार होंगे" निम्नलिखित वाक्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"मृत्यु दंड प्राप्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433क के अधीन निम्नांकित कोटियों के सिद्धदोष परिहार सहित 20 वर्षों तक कारावास में रहने के बाद भी समय पूर्व मुक्ति हेतु विचार किए जाने के हकदार नहीं होंगे:–"

(2) बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 481 का उपनियम (I) (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(क) वैसे बंदी जो बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती के साथ हत्या, ऐसी हत्या जिसमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन कोई अपराध सम्मिलित हो, दहेज के लिए हत्या, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे की हत्या, अनेक हत्या, अभियोजन के पश्चात कारागार में रहते हुए की गई हत्या, पैरोल पर रहने के दरम्यान की गई हत्या, आतंकवादी घटना में हत्या, तस्करी करने में हत्या या काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में हत्या हेतु आजीवन कारावास में हों।"

(3) बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 481 का उपनियम (III) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपनियम (IV) एवं (V) जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–

"(iv) वैसे मामलों में, जिनमें आजीवन कारावास की सजा में यह विनिर्दिष्ट किया गया हो कि बिना परिहार या लघुकरण (Commutation) के सजायाफ्ता आजीवन कारावास का दण्ड अपने जीवनकाल के अंत होने तक भुगतेगें, सजायाफ्ता को परिहार या लघुकरण का लाभ नहीं दिया जाएगा।"

"(v) वैसे मामलों में जिनमें आजीवन कारावास की सजा में यह विनिर्दिष्ट किया गया हो कि एक निर्धारित अवधि जैसे 20 वर्ष 25 वर्ष या अन्य कोई अवधि पूरा किये बिना परिहार या लघुकरण का लाभ देकर सजायाफ्ता को रिहा नहीं किया जाएगा, में सजायाफ्ता को परिहार या लघुकरण का लाभ तबतक नहीं दिया जाएगा, जबतक वह दण्डादेश की निर्धारित अवधि तक का कारावास पूरा नहीं कर लेता है।

5. नियम 482 का संशोधनः– (1) बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 482 का उपनियम (i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"(i) आजीवन कारावास गुजार रहे बंदी से अथवा उसकी ओर से समय पूर्व मुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित कारा अधीक्षक राज्य सरकार द्वारा अधिकथित मानदण्डों के अनुसार बंदी के समय पूर्व मुक्ति हेतु कार्रवाई करेगा किन्तु आजीवन कारावास गुजार रहे बंदी के समय पूर्व मुक्ति हेतु विचारण के योग्य होने की तिथि से चार माह पूर्व से पहले प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।"

(2) बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 482 के उप नियम (v) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपनियम (vi) जोड़ा जाएगा, अर्थातः–

" (vi) अधीक्षक न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश (जिसके समक्ष दोषसिद्धि हुई थी या जिसके द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी) से इस बारे में मंतव्य प्राप्त करेगा कि परिहार आवेदन को मंजूर किया जाए या नामंजूर किया जाए।"

(3) बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 482 के पूर्व के उपनियम (vi) को उपनियम (vii) के रुप में पुनर्संख्यांकित करते हुए निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा.–

"(vii) पुलिस अधीक्षक तथा परिवीक्षा पदाधिकारी के प्रतिवेदन/अनुशंसा एवं न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश (जिसके समक्ष दोषसिद्धि हुई थी या जिसके द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी) का मंतव्य प्राप्त हो जाने पर, अधीक्षक मामले को महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ को प्रस्तुत करेगा। महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बंदी की समयपूर्व मुक्ति या अन्यथा से संबंधित न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश (जिसके समक्ष दोषसिद्धि हुई थी या जिसके द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी) का मंतव्य, कारा अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा परिवीक्षा पदाधिकारी के प्रतिवेदन/अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए, मामले की जाँच करेगा। ऐसा करते समय वह राज्य दंडादेश परिहार पर्षद हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकथित सामान्य एवं विशेष मार्गदर्शनों को ध्यान में रखेगा/रखेगी। बन्दियों को समयपूर्व रिहा करने के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए विभिन्न मार्गदर्शनों तथा स्थापित मानदण्डों पर भी समुचित ध्यान दिया जाएगा।

(4.) उप नियम (viii) का जोड़ा जानाः–बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 482 के उप नियम (vii) के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम (viii) जोडा जाएगा, अर्थातः–

"(viii) जहाँ किसी केन्द्रीय विधि (Central Law) या केन्द्रीय विधि के अधीन अथवा किसी अन्य समान अपराध के अधीन आजीवन कारावास का दंड दिया गया हो वहाँ राज्य सरकार को परिहार देने की एवं सजा को कम करने (commutation)की शक्ति नहीं होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
24.5.16
(राजीव वर्मा)
सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 10 दिसम्बर, 2002

संख्या- के/कारा-विविध-63/2001- 3106 / कारा अधिनियम, 1894 की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार कारा हस्तक में तुरंत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

बिहार कारा हस्तक का नियम 529 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा, "529

(i) राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् का गठन

बिहार राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् नामक एक पर्षद् होगी जो बंदी को दिए गए दंडादेश के परिहार के संबंध में विचार करेगी और समुचित मामलों में उसकी समय पूर्व रिहाई की अनुशंसा करेगी । यह पर्षद् एक स्थायी निकाय (body) होगी तथा निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित की जायेगी :-

1.	गृह सचिव	-	अध्यक्ष
2.	विधि सचिव	-	सदस्य
3.	उच्च न्यायालय द्वारा नाम निर्देशित जिला एवं सत्र न्यायाधीश	-	सदस्य
4.	निदेशक, परिवीक्षा सेवाएँ	-	सदस्य
5.	आरक्षी महानिदेशक द्वारा नाम निर्देशित आरक्षी महानिरीक्षक	-	सदस्य
6.	कारा महानिरीक्षक	-	सदस्य-सचिव

इस पर्षद् की अनुशंसायें पर्षद् में किसी रिक्ति या इसके किसी सदस्य की पर्षद् की बैठक में भाग लेने में असमर्थता के कारण मात्र से अवधि अमान्य नहीं होगी । परन्तु बैठक हेतु गणपूर्ति पूरी नहीं होने पर, पर्षद की बैठक नहीं होगी । पर्षद् की गणपूर्ति अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए चार सदस्यों से होगी ।

(ii) पर्षद् की बैठक की अवधि

राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् एक तिमाही में कम-से-कम एक बार, राज्य मुख्यालय में, पूरी कार्य सूची के साथ कम-से-कम 10 दिन पूर्व सदस्यों को अधिसूचित तिथि को बैठक करेगी ।

तथापि पर्षद् के अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, तो पर्षद् की एक से अधिक बैठकें एक तिमाही में बुला सकेंगे ।

(iii) समय-पूर्व रिहाई के लिए अर्हता

राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् द्वारा समय-पूर्व रिहाई के लिए विचार हेतु निम्नलिखित कोटि के बंदी पात्र होंगे :-

(क) प्रत्येक सिद्धदोष बंदी, पुरूष अथवा महिला, जो आजीवन कारावास का दंड भुगत रहा/रही हो तथा जो दंड प्रकिया संहिता की धारा 433(ए) के प्रावधानों से आच्छादित हो, बिना परिहार के कम-से-कम 14 वर्षों की वास्तविक सजा भुगतने के तुरत बाद समय-पूर्व रिहाई के लिए विचार करने हेतु पात्र होंगे ।

(ख) सभी अन्य आजीवन कारावास की सजा प्राप्त पुरूष सिद्धदोष बंदी परिहार सहित 14 वर्षों की न्यूनतम सजा भुगतने और बिना परिहार के 10 वर्षों की वास्तविक सजा पूरी करने के उपरान्त समय पूर्व रिहाई के लिए विचार करने के पात्र होंगे।

(ग) सभी अन्य, आजीवन कारावास की सजा भोग रही महिला सिद्धदोष बन्दी, परिहार सहित 10 वर्षों की न्यूनतम सजा भुगतने और बिना परिहार के 7 वर्षों की वास्तविक सजा अवधि पूरी करने के उपरान्त समय पूर्व रिहाई के लिए विचार करने की पात्र होंगी ।

(घ) सिद्धदोष बंदी जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हों, 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर, यदि परिहार सहित उन्होंने 7 वर्षों के संसीमन की सजा काट ली हो ।

(च) आजीवन कारावास का दंड भुगत रहे वैसे सिद्धदोष बंदी जो कैन्सर, एड्स, ठीक न होने वाली किडनी की बीमारी, हृदय एवं श्वास से जूड़े असाध्य रोग एवं अन्य ऐसी छूआछूत वाली बीमारी से ग्रस्त हों, जैसा कि चिकित्सकों के एक बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो, यदि उन्होंने 5 वर्षों के वास्तविक अथवा परिहार सहित 7 वर्षों का दंड भुगत लिया हो ।

(iv) समय-पूर्व रिहाई के लिए अयोग्यता

निम्नांकित श्रेणी के सिद्धदोष बंदी, जो आजीवन कारावास का दंड भुगत रहे हों, समय-पूर्व रिहाई के लिए विचार-योग्य नहीं हो सकेंगे :-

Sentence Review Board

(क) बलात्कार, डकैती, आतंकवादी अपराधों, आदि जैसे अपराधों के सिद्धदोष बंदी ।
(ख) वैसे बंदी, जो पूर्व चिंतन किये गये विषयों एवं सुनियोजित ढंग से हत्याएं आयोजित करने के लिए सिद्धदोष हो ।
(ग) वैसे पेशेवर हत्यारे, जिन्हें भाड़े पर हत्या कराने का दोषी पाया गया हो ।
(घ) वैसे सिद्धदोष बंदी जो तस्करी कार्य में अंतर्लिप्त रहते हुए हत्या करता हो अथवा कर्त्तव्य पर रहने वाले लोक सेवकों की हत्या का दोषी हो ।

(v) <u>परिहार पर्षद के विचार के लिए मामलों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया</u>

(क) केन्द्रीय/जिला कारा के प्रत्येक अधीक्षक, जिनके पास आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे बंदी हैं, समय-पूर्व रिहाई के लिए विहित अर्हताओं के अनुसार विचार-क्षेत्र में आने के लिए किसी बंदी के अर्हता राज्य सरकार द्वारा इस निमित अधिकथित मानदंड के अनुसार विचारन के योग्य बंदियों के होने की तिथि से 3 माह पहले से उनके मामलों की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा ।

(ख) कारा अधीक्षक ऐसे प्रत्येक मामलें में एक विस्तृत टिप्पणी बंदी की पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि देते हुए तैयार करेगा । उनकी टिप्पणी में यह भी उल्लिखित रहेगा कि किस अपराध के लिए उसे सिद्धदोष पाया गया और दी गयी सजा एवं परिस्थितियाँ जिसके अधीन अपराध किया गया । बंदी के कारावास के दौरान उसके आचरण एवं आचार, परवीक्षा अवकाश के उसे छोड़े जाने की अवधि में उसका आचरण एवं आचार, उसके आचरण शैली में कोई परिवर्तन हुआ हो अथवा कारा अपराध यदि उसके द्वारा किया गया हो और उसके लिए सजा दी गयी हो, के बारे में वे पूर्ण रूप से प्रकाश डालेंगे । उसके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य या कोई गंभीर बीमारी है, जिससे बंदी पीड़ित है जो उसे समय-पूर्व रिहाई के लिए विशेष विचारण के लिए हकदार बनाती हो, के बारे में एक प्रतिवेदन भी तैयार किया जाएगा । इस टिप्पणी में काराधीक्षक की अपनी अनुशंसा भी अन्तर्विष्ट होगी कि बंदी की समय-पूर्व रिहाई के पक्ष में है या नहीं और प्रत्येक दशा में वह पर्याप्त कारणों द्वारा समर्थित होगी ।

(ग) काराधीक्षक उस जिले के आरक्षी अधीक्षक को निर्देशित करेंगे कि बंदी अपराध करने के समय, जिसके लिए उसे सिद्धदोष किया गया है, कहाँ सामान्यतया निवास करता था अथवा कारामुक्त होने के बाद वह पुनः कहाँ बसने वाला है । फिर भी, बंदी जहां अपराध करने के समय सामान्यतया निवास करता था उससे भिन्न स्थान, जहाँ उसने अपराध किया, की दशा में भी उस जिले के आरक्षी अधीक्षक को एक निर्देश दिया जाएगा, जिसमें अपराध किया गया था । दोनों ही स्थितियों में, वह अपने द्वारा तैयार की गयी टिप्पणी की प्रति बंदी की समय-पूर्व रिहाई की वांछनीयता के संबंध में अपना विचार व्यक्त करने हेतु आरक्षी अधीक्षक को समर्थ करने हेतु प्रेषित करेगा ।

(घ) संबंधित आरक्षी अधीक्षक निर्देश प्राप्त होने पर मामले में जो समुचित कोटि के वरीय आरक्षी पदाधिकारी हो, द्वारा जांच कराएंगे एवं स्वविवेकानुसार अपनी अनुशंसा करेंगे । अनुशंसा करते समय आरक्षी अधीक्षक यंत्रवत् कार्य एवं बंदी की समय-पूर्व रिहाई का विरोध परिकल्पित आशंकाओं एवं अमान्य आधारों पर नहीं करेंगे । अगर आरक्षी अधीक्षक बंदी की समय-पूर्व रिहाई के पक्ष में ना हो तो वे तर्कपूर्ण कारणों एवं तथ्यों से उसे न्यायोचित ठहराएँगे । वे निर्देशित प्राप्ति के 30 दिनों के भितर संबंधित कारा अधीक्षक को अपनी राय के साथ निर्देश वापस कर देंगे ।

(च) काराधीक्षक बंदी कल्याण पदाधिकारी/निदेशक राज्य की परवीक्षा सेवा को भी इस संबंध में निर्देश करेंगे एवं उन्हें अपनी टिप्पणी की एक प्रति भी अग्रसारित कर देंगे । निर्देश की प्राप्ति पर, बंदी कल्याण पदाधिकारी निदेशक, परवीक्षा सेवा स्वयं करेंगे अथवा किसी परवीक्षा पदाधिकारी के माध्यम से बंदी की पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि, उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी स्वीकार्यता, तथा बंदी के पुनर्वास एवं एक अच्छे नागरिक के रूप में सार्थक जीवन व्यतीत करने हेतु सामाजिक संभावनाओं का ध्यान रखते हुए बंदी की समय पूर्व रिहाई की वांछनीय जांच करेंगे अथवा कराएंगे । वे यंत्रवत् कार्य नहीं करेंगे एवं प्रत्येक मामले को समय-पूर्व रिहाई के लिए अनुशंसित नहीं करेंगे । दोनों में से हरेक मामले में तथ्यों के रूप में अभिलिखित कारणों/ अपनी अनुशंसा को न्यायोचित ठहराएंगे । बंदी कल्याण पदाधिकारी / निदेशक परवीक्षा सेवा अपना प्रतिवेदन / अनुशंसा निर्देश की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर काराधीक्षक को सुपूर्द कर देंगे ।

(छ) आरक्षी अधीक्षक तथा बंदी कल्याण पदाधिकारी / निदेशक परवीक्षा सेवा के प्रतिवेदन / अनुशंसा प्राप्त होने पर, काराधीक्षक राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् की प्रस्तावित बैठक से कम-से-कम एक माह पूर्व मामलों को कारा महानिरीक्षक के सामने उपस्थापित करेंगे । कारा महानिरीक्षक मामले की जांच काराधीक्षक, आरक्षी अधीक्षक एवं बंदी कल्याण पदाधिकारी / निदेशक परवीक्षा सेवा के प्रतिवेदनों / अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे । आरक्षी अधीक्षक तथा बंदी कल्याण पदाधिकारी / निदेशक, परवीक्षा सेवाएं बंदी की समय-पूर्व रिहाई अथवा राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् के सरकार द्वारा अधिकथित सामान्य या विशेष दिशा निदेश को ध्यान में रखते हुए बंदी की रिहाई के संबंध में अपनी अनुशंसाएं करेंगे ।

(13)

न्यायालयों द्वारा दिए गये विभिन्न सन्नियमों एवं दिशा निर्देशों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(vi) परिहार पर्षद के लिए प्रकिया एवं दिशा निर्देश

(क) कारा महानिरीक्षक राज्य मुख्यालय में राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् की बैठक कैसी दिन तथा समय आहूत करेंगे जिसकी पूर्व सूचना बैठक की निर्धारित तिथि से कम-से-कम दस दिन पूर्व पर्षद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचना दी जाएगी एवं उसके साथ सम्पूर्ण कार्यसूची के कागजात संलग्न रहेंगे, यथा- काराधीक्षक की टिप्पणी, आरक्षी अधीक्षक, बंदी कल्याण पदाधिकारी / निदेशक परवीक्षा सेवायें तथा कारामहानिरीक्षक की अनुशंसाएँ, दस्तावेजों की प्रति सहित यदि कोई हो ।

(ख) बैठक सामान्यतया अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी और यदि कुछ कारणों से बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो यह न्यायिक सचिव-सह-विधि परामर्शी की अध्यक्षता में होगी । सदस्य-सचिव (कारा महानिरीक्षक) राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् के समक्ष विचारण हेतु प्रत्येक बंदी के मामले को प्रस्तुत करेंगे । पर्षद् मामले पर विचार करेगी एवं अपना विचार गठित करेगी । जहां तक व्यवहार्य हो, दंडादेश परिहार पर्षद् सर्वसम्मति से अनुशंसा करने का प्रयास करेगी । फिर भी विसम्मति की दशा में बहुमत अभिभावी होगा और वह पर्षद् का निर्णय माना जाएगा ।

(ग) किसी विशिष्ट बंदी की समय-पूर्व रिहाई के मामले पर विचार करते समय पर्षद् क्षमादान, दंडादेश के परिहार आदि को राज्य सरकार द्वारा न्यायालयों द्वारा, उस विषय में पूर्व के उदाहरण के रूप में अधिकथित सामान्यः सिद्धांतों को विचार में रखेगा । दंडादेश परिहार पर्षद् के समक्ष बंदी कल्याण एवं समाज कल्याण का सर्वोपरि ध्यान होगा । पर्षद् सामान्यतया किसी बंदी की समय-पूर्व रिहाई को मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं करेगी कि पुलिस द्वारा उसके रिहाई कतिपय अतार्किक एवं काल्पनिक अवधारणाओं के कारण अनुसंशित नहीं है । पर्षद् उन सभी परिस्थितियों को विचार क्षेत्र में रखेगा जिसमें बंदी द्वारा अपराध किया गया हो, तथा बंदी द्वारा इस तरह के या अन्य किस्म के अपराध करने का रूझान है या नहीं, या इस तरह का अपराध वह पुनः कर सकता है या नहीं ।

(घ) राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् द्वारा किसी बंदी की समय पूर्व रिहाई की एक या एक से अधिक अवसरों पर अस्वीकृत उसके मामले के पुनर्विचार में बाधक नहीं होगी । फिर भी, किसी सिद्ध-दोष बंदी के अस्वीकृत मामले पर पुनर्विचार उसके मामले में पूर्व में किये गये विचार की तिथि से एक साल की अवधि बीत जाने पर ही किया जायेगा ।

(च) राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् की अनुशंसाएँ अविलम्ब सक्षम पदाधिकारी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी । सक्षम पदाधिकारी राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगा या उसे अभिलिखित कारणों के आधार पर अस्वीकृत करेगा या किसी विशिष्ट मामले पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य दंडादेश परिहार पर्षद को कहेगा । सक्षम प्राधिकारी का निर्णय संबंधित बंदी को संसूचित किया जायेगा और यदि सक्षम प्राधिकारी ने परिहार प्रदान किया हो और उसके समय पूर्व रिहाई का आदेश दिया जा चुका हो, तो बंदी तुरंत सशर्त्त अथवा बिना शर्त्त कारा से मुक्त कर दिया जायेगा ।

(vii) इस नियम का अभिभावी प्रभाव

इस नियम का अभिभावी प्रभाव बिहार कारा हस्तक के नियम-548 एवं नियम-552 पर उस हद तक होगा, जहाँ तक आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे बंदियों को समय-पूर्व रिहाई से संबंध है ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0
(आर. जे. एम. पिल्लै)
गृह आयुक्त एवं सचिव
पटना, दिनांक 10 दिसम्बर, 2002

ज्ञाप संख्या-- के/कार-विविध-63/2001- 3106

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 अतिरिक्त प्रतियां कार्यालय प्रयोग हेतु गृह (विशेष) विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

गृह आयुक्त एवं सचिव

place for writing inside or near the main gate quite apart from the Jail office and under the eye of a warder. These prisoners are forbidden to enter the Jail office on any excuse whatever unless called before the Superintendent, Deputy Superintendent, Jailor or an inspecting officer. Prisoners employed on clerical work will ordinarily receive no extra remission, unless they are convict officers when they will only receive the remisson laid down for services in those grades.

फिर भी इस नियम का उल्लंघन कर कई कारणों में बन्दियों से लिपिक का कार्य कराया जाता है जिसके फलस्वरूप कभी इन्टरमिडियट कस्टडी वारंट छिपाकर बन्दी को अवैध रूप से मुक्त कर दिया जाता है, तो कभी मुक्ति आदेश छिपाकर बन्दी को अवैध रूप से कारा में निरोधित रखा जाता है।

2. अतः, आपसे अनुरोध है कि बन्दियों को लिपिक-कार्य के लिए नियोजित नहीं किया जाय। यदि कर्मचारियों का अभाव है, तो आप पढ़े-लिखे कक्षपालों को लिपिक कार्य के लिए नियोजित कर सकते है।

●

बिहार सरकार कारा विभाग, संख्या-1647/जेलदिनांक 24 फरवरी 1984 ई० प्रेषक, कारा महानिरीक्षक, बिहार पटना। सेवा में, सभी काराधीक्षक।

विषय :—आजीवन कारावास की सजा वाले बन्दियों की मुक्ति।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिस अभियुक्त को आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया हो, उसे परिहार देने के हेतु एवं तदोपरान्त कारा से मुक्ति हेतु आजीवन कारावास को 20 वर्षों का कारावास माना जाय तथा आजीवन कारावास की सजा वाले बन्दियों को मुक्त करने के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाय।

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, 1974) की धारा 428 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रतिपादन (Set off) का लाभ आजीवन कारावास की सजा वाले बन्दी को नहीं मिलेगा अर्थात् जिस बाद में उसे आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया है, उस बाद के अनुसंधान, जांच एवं विचारण की अवधि में हवालात सिद्ध की तिथि के पूर्व कारा में बिताई गई अवधि 20 वर्षों के कारावास की अवधि में से घटाई जा सकेगी।

2. दोष सिद्ध हो जाने पर यदि किसी को ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया हो/जिसके लिये दिये जाने वाले दंडों में से एक मृत्यु दण्ड हो अथवा यदि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में रूपान्तरित कर दिया गया हो, तथा इस प्रकार आजीवन कारावास का दण्ड दिनांक 18-12-1978 को अथवा इसके बाद दिया गया हो, तो ऐसे बन्दी को तभी कारा से मुक्त किया जा सकेगा, जब :—

(क) उसने दोष सिद्ध होने की तिथि से 14 वर्षों की अवधि कारा में व्यतीत कर ली हो,

(ख) परिहार तथा कारावास की अवधि का योगफल 20 वर्ष हो गया।

●

बिहार सरकार, विधि (न्याय) विभाग। परिपत्र संख्या-ए/पी० एम०-03/81—3115 दिनांक 25 मई, 1985 ई०। प्रेषक, श्री श्रीदेव मिश्र, सरकार के सचिव, बिहार। सेवा में, कारा महानिरीक्षक, बिहार।

विषय—आजीवन कारावास की सजा वाले व्यक्तियों की मुक्ति।

विधि विभागीय उक्त विषयक राज्यादेश संख्या-ए/पी० एम०/81-550 दिनांक 21 जनवरी, 1984 के क्रम में निदेशानुसार मुझे कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पाँच स्थानीय पीठ ने भगीरथ बनाम दिल्ली प्रशासन क्रिमिनल अपील संख्या 754/83 एवं राकेश कैमिक बनाम दिल्ली प्रशासन रिट याचिका (क्रिमिनल संख्या, 1266/82 में दिनांक 16-4-1985 को उद्घोषित पैरामें नीचे उद्धृत निदेश दिया है—

BIHAR PRISONERS (PAROLE) RULES, 1973

बिहार कैदी (अस्थायी निर्मुक्ति) नियमावली, 1973

सं० जी० पी० आई०-24-मिस० 1-74-10732-जेल दिनांक 2 दिसम्बर 1974.—कैदी (बिहार संशोधन) अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 23, 1956) की धारा 31 (ङ०) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) यह नियमावली बिहार कैदी (अस्थायी निर्मुक्ति) नियमावली 1973 कही जा सकेगी।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य पर लागू होगी और तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं—(1) जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो, इस नियमावली में,—

(क) "बोर्ड" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 31 (क) के अधीन गठित पैरोल बोर्ड;

(ख) "फारम" से अभिप्रेत है इस नियमावली से उपाबद्ध फारम;

(ग) महानिरीक्षक से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक, बिहार;

(घ) "अधीक्षक" से अभिप्रेत है उस जेल का अधीक्षक जिस जेल में कैदी, जिसकी निर्मुक्ति इस नियमावली के अधीन विचाराधीन है, परिरूद्ध हो; और

(ङ) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार में यथाप्रवृत्त कैदी अधिनियम, 1900 (3, 1900);

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित, किन्तु अधिनियम या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (20, 1958) या कारा अधिनियम, 1894 (9, 1894) या बिहार जेल हस्तक में परिभाषित शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अर्थ उनके उल्लिखित अधिनियम और हस्तक में उनके लिये दिये गये हैं।

3. पैरोल बोर्ड—(1) अधिनियम की धारा 31-क के अधीन गठित पैरोल बोर्ड (इसमें आगे बोर्ड के रूप में निर्दिष्ट) साधारणतया हरेक तीन महीने पर संबद्ध जेल कार्यालय में बैठक करेगा और कैदियों से साक्षात्कार कर सकेगा।

(2) "जिला मजिस्ट्रेट" पैरोड बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(3) अध्यक्ष या, उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित कोई व्यक्ति सभापतित्व करेगा।

(4) अधीक्षक बोर्ड का पदेन सचिव और उसकी बैठकों का संयोजक होगा।

(5) बोर्ड की बैठक का कोरम तीन सदस्यों का होगा।

(6) बोर्ड का सदस्य होने के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित राज्य विधान-मंडल के सदस्यों की पदावधि वही होगी जो राज्य विधान-मंडल में उनकी सदस्यता की पदावधि है और उनके द्वारा बोर्ड की सदस्यता का पदत्याग किये जाने पर या विधान-मंडल का सदस्य न रह जाने पर होनेवाली रिक्ति, अधिनियम की धारा 31-क के अधीन नाम निर्देशन द्वारा भरी जायगी।

(7) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित उपशासकीय सदस्यों को, बोर्ड की बैठकों में हाजिर होने के लिये नियमों के अधीन अपने श्रेणी के पदाधिकारियों को अनुज्ञेय यात्रा और विराम-भत्ता दिया जाएगा।

4. अस्थायी निर्मुक्ति के लिये आवेदन—कैदी अधिनियम के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति के लिये फारम I में दो प्रतियों में आवेदन करेगा और अधीक्षक के पास भेजेगा।

5. अस्थायी निर्मुक्ति के आवेदन की छानबीन और सत्यापन—(1) अधीक्षक अस्थायी निर्मुक्ति के लिए आवेदन करनेवाले कैदी के अभिलेखों की स्वयं जांच करेगा और अपना समाधान कर लेगा कि कैदी अधिनियम के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति का पात्र है। वह इस संबंध में भी अपना समाधान कर लेगा कि कारागार में कैदी का आचरण अच्छा रहा है।

(2) जो कैदी कारा अधिनियम, 1894 (9, 1894) के अधीन बनाये गये उस समय प्रवृत्त नियमों के अधीन, अस्थायी निर्मुक्ति के आवेदन की तारीख के पूर्व बारह मास से पूर्ण साधारण छूट का हकदार हो चुका हो उसके बारे में अधिनियम के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि कारा में उसका आचरण एक समान अच्छा रहा है।

(3) ऐसे किसी भी कैदी पर, जिसे किसी न्यायालय के समक्ष आरोप का उत्तर देना हो, या जिसकी अपील लंबित हो, अस्थायी निर्मुक्ति के लिये विचार नहीं किया जायगा।

(4) किसी अन्य राज्य के न्यायालय या सेना न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराये गए किसी कैदी पर अस्थायी निर्मुक्ति के लिये विचार नहीं किया जायेगा।

(5) कैदी के आवेदन को मंजूरी के छः महीने के भीतर पैरोल पर अस्थायी निर्मुक्ति के लिए कोई भी नया आवेदन अधीक्षक द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले विशेष कारणों से ग्रहण किये जाने के सिवाय अन्यथा ग्रहण नहीं किया जायगा।

(6) यदि कैदी अधिनियम की धारा 31(ग) के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति के निमित्त किए जाने के लिए फारम 1 में अधीक्षक के पास पहली बार आवेदन करे तो वह उसकी प्रति कैदी द्वारा दी गयी विशिष्टियों के सत्यापन के लिये संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उस थाने के प्रभारी पदाधिकारी के पास देगा जिसकी अधिकारिता के भीतर समुचित जांच की जानेवाली हो :

परन्तु कैदी द्वारा उपर वर्णित अपने आवेदन के पूर्व लगातार तीन वर्षों तक कारावास भुगतने के बाद, उनपर उल्लिखित सत्यापन आवश्यक नही होगा, जबतक कि उसने अधिनियम की धारा 31(ग) के परन्तुक मे वर्णित प्रकार का अपराध न किया हो अथवा इस प्रकार उसे उसके अधीन अस्थायी निर्मुक्ति की मंजुरी सरकारी आदेश से ही दी जा सकती हो।

(7) अधीक्षक धारा 31 (ख) के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति के पात्र आवेदकों के सभी आवेदन यथा-शीघ्र बोर्ड के समक्ष रखेगा और ऐसे मामले (केस) कारा महानिरीक्षक के पास भेज देगा जिनपर अधिनियम की धारा 31 (ग) के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति के लिये विचार किया जा सकता हो। कारा महानिरीक्षक के पास आवेदन भेजने के पहले, अधीक्षक, अपना समाधान कर लेगा कि कैदी अस्थायी निर्मुक्ति के लिये विचार किये जाने का पात्र है और उसके साथ पूर्वगामी कंडिका में यथोपेक्षित थाने के प्रभारी पदाधिकारी से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट संलग्न कर देगा।

6. निर्मुक्ति के लिए विशेष कारण—(1) अधिनियम की धारा 31 (ख) के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति प्रभावी की जा सकती है भले ही कैदी ने उसकी मंजूरी के लिये विशेष कारण नहीं दिये हों।

(2) जिन विशेष कारणों से कैदी को अधिनियम की धारा 31 (ग) के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति की मंजूरी दी जा सकती है, वे निम्नलिखित है :—

(क) कैदी के माता-पिता, पत्नी (या पति) या बच्चे की गंभीर-बीमारी या मृत्यु;

(ख) कौटुम्बिक सम्पति और मामले से संबंधित समस्याओं का निपटारा करना;

(ग) अपने पुत्र या पुत्री का विवाह और अनिवार्य धार्मिक तथा सामाजिक संस्कारों का संपन्न किया जाना, तथा

(घ) भावी नियोजक से साक्षात्कार करना;

(3) (क) यदि अस्थायी निर्मुक्ति का आदेश अधिनियम की धारा 31(ग) के अधीन विशेष कारणों से दिया गया हो, राज्य सरकार या निर्मुक्ति का आदेश करनेवाला प्राधिकारी, यह निर्देश दे सकेगा कि निर्मुक्ति के आधार सहित मामले के और उसके साथ कैदी द्वारा अपनी निर्मुक्ति अवधि मे किये गए आचारण की रीति उस क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने परिवीक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएगी जिस क्षेत्र का कैदी हो।

(ख) यदि यह पाया जाय कि कैदी द्वारा निर्मुक्ति के लिये दिये गये आधार सही नहीं थे या उसने निर्मुक्ति के समय द्वारा दिये गये परिवचन से भिन्न रीति से आचरण किया है तो कैदी कारा अधिनियम सं० 8, 1894 में, यथा अधिकथित बड़े दंड का भागी होगा।

7. अधिनियम के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति का आदेश करने के लिये नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी—अन्तिम आदेश—(1) यदि प्रधान परिवीक्षा पदाधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित फारम 1 में कोई आवेदन प्राप्त होने पर सरकार या समुचित प्राधिकारी कैदी को अस्थायी निर्मुक्ति लोक हित में अवांछनीय समझें तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाय और अधीक्षक कैदी को सूचित करेगा कि उसका आवेदन इस तरह अस्वीकृत कर दिया गया है।

(2) दूसरी ओर, यदि ऐसा समझा जाए कि आवेदन लोक हित को हानि पहुँचाए बिना मंजूर किया जा सकता है तो सरकार या समुचित प्राधिकारी विहित फारम 3 में कैदी को अस्थायी निर्मुक्ति का आदेश जारी करेगा।

(3) अस्थायी निर्मुक्ति का आदेश करते समय ऐसी शर्तें अधिरोपित की जा सकेगी जो आवश्यक समझी जाए, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि कैदी प्रतिभूओं सहित या उसके बिना बंध-पत्र निष्पादित करेगा और अपनी अस्थायी निर्मुक्ति की अवधि के दौरान किसी परिवीक्षा पदाधिकारी या अन्य ऐसे व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रहेगा जिसे निर्मुक्ति आदेश करने वाला पदाधिकारी उपयुक्त समझे।

(4) बंध-पत्र की रकम और उसके प्रतिभूओं की संख्या और नाम विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जो राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा अपने निर्मुक्ति आदेश में ऐसी शर्तें अधिरोपित की जाने पर कैदी के निर्मुक्ति किये जाने के पहले फारम 2 में निष्पादित किया जायेगा।

(5) निर्मुक्ति आदेश उसमें अन्तर्विष्ट शर्तें सहित अधीक्षक के पास भेजा जायगा और उक्त आदेश की प्रतियां उन जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और प्रधान परिवीक्षा पदाधिकारी के पास, जिनमें वे स्थान स्थित हो जहां कैदी जा सकता हो, भेजी जाएँगी। साथ ही, उक्त आदेश की प्रतियां उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट और प्रधान परिवीक्षा पदाधिकारी के पास भी भेजी जाएगी जिस जिले में कैदी दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

8. निर्मुक्ति की तारीख—(1) अस्थायी निर्मुक्ति आदेश प्राप्त होने पर अधीक्षक कैदी के परामर्श से उसकी अस्थायी निर्मुक्ति की तारीख नियत करेगी जो आदेश प्राप्त होने की तारीख से साधारणतः चार महीने से बाद की न होगी।

(2) महिला कैदी की दशा में, उसकी अस्थायी निर्मुक्ति की तारीख इस तरह नियत की जाएगी जिससे उस स्थान के निकटतम जेल में उसके अन्तरण के लिए समय मिल सके जिस स्थान में वह अपनी अस्थायी निर्मुक्ति के दौरान रहना चाहती हो।

(3) यदि जिस कैदी के सम्बन्ध में अस्थायी निर्मुक्ति का आदेश जारी किया गया हो वह बीमार हो, तो अधीक्षक उसकी अस्थायी निर्मुक्ति की तारीख उतने समय तक के लिए स्थगित कर सकेगा, जितना समय जेल का चिकित्सा पदाधिकारी कैदी की बीमारी से चंगा होने के लिए आवश्यक समझे।

(4) अधीक्षक किसी कैदी को निर्मुक्ति करने के पहले कैदी और उसके प्रतिभूत द्वारा, यदि कोई हो, फारम 2 में सम्यक् रूप से बंध-पत्र निष्पादित करा लेगा।

9. अस्थायी निर्मुक्ति के आदेश का रद्दकरण—(1) यदि कैदी निर्मुक्ति के आवेदन की तारीख और नियम 8 के अधीन उसकी अस्थायी निर्मुक्ति के लिए नियत तारीख के बीच औपचारिक चेतावनी द्वारा दंडित होनेवाले अपराध से भिन्न कोई जेल अपराध करे, तो अधीक्षक, राज्य सरकार या उचित प्राधिकार को इस बात की रिपोर्ट करेगा, जो उसके बाद अस्थायी निर्मुक्ति का आदेश रद्द कर सकेगा।

(2) ऐसे रद्दकरण होने पर अपराध करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अस्थायी निर्मुक्ति के लिए कैदी का कोई और अनुरोध ग्रहण नहीं किया जायगा।

10. जिला मजिस्ट्रेट को निर्मुक्ति की सूचना—जब कोई कैदी इस नियमावली के अधीन अस्थायी रूप से निर्मुक्त किया जाए, तो अधीक्षक, कारा महानिरीक्षक तथा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और प्रधान परिवीक्षा पदाधिकारी को कैदी के जेल छोड़ने की तारीख और जेल में उसके वापस आने की नियत तारीख की रिपोर्ट तुरंत करेगा।

11. निर्मुक्ति प्रमाण-पत्र—कैदी के जेल छोड़ने के समय अधीक्षक उसको दो प्रतियों में तैयार किया जाने वाला फारम 4 में अस्थायी निर्मुक्ति प्रमाण-पत्र देगा, जिसे कैदी जेल में लौटने पर अधीक्षक को दे देगा। उक्त प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जेल अभिलेख में रख ली जाएगी।

12. यात्रा के दौरान यात्रा और जीवन निर्वाह भत्ता—(1) जब कोई कैदी अधिनियम के अधीन अस्थायी रूप से निर्मुक्त किया जाए तब उसे अपनी अस्थायी निर्मुक्ति की अवधि के लिए आहार खर्च नहीं दिया जाएगा।

(2) यदि ऐसी कैदी के पास जेल से जाने और लौटने का खर्च चुकाने के लिए पर्याप्त धन या अर्जित मजदूरी न हो तो उसे निम्नलिखित दिया जायगा :—

(क) रेलवे जमा-पत्र पद्धति पर उसके निवास-स्थान से निकटतम रेलवे या स्टीमर स्टेशन तक जाने और आने के लिए सबसे निचली श्रेणी का निःशुल्क पास;

(ख) यदि यात्रा या यात्रा का भाग नौका या बस अथवा नौका और बस द्वारा पूरा किया जाने वाला हो तो जेल से जाने और लौटने के लिए यथास्थिति, नौका भाड़ा या बस-भाड़ा अथवा नौका और बस-भाड़ा;

क
अवे
वह
रहेंगे
स्थानीय
1
तालाबंदी
(2
वह अपनी
सुविधा हो,
18.
तो उसे जेल
भेज दी जाए
19.
वह पहले उस
हो।
(2) वह
तक उसी जेल
(3) जिस
ऐसे संबंधियों, मि
ताकि वे उसे लेने
महिला वार्डर, यदि
के प्रभार में अपने

(ग) सड़क से की जानेवाली यात्रा के निर्मित हरेक पन्द्रह मील या उसके भाग के लिए जिसके लिए कोई [illegible] नहीं दिया गया हो, 50 पैसे की दर से, जेल से ऐसे कैदी के निवास-स्थान तक यात्रा के लिए निर्वाह-[illegible]

(घ) रेल, स्टीमर, नौका या बस से हरेक दिन या उसके भाग की यात्रा के लिऐ उसी दर से निर्वाह भत्ता।

13. यदि कैदी का घर जेल से 5 मील के भीतर स्थित हो या कैदी के पास जेल से जाने और आने की यात्रा के लिए पर्याप्त धन या मजदूरी हो तो ऊपर खंड (ग) और (घ) में वर्णित निर्वाह-भत्ता देय नहीं होगा।

14. *जेल की वस्तुओं का उधार दिया जाना*—(1) यदि किसी कैदी के पास निजी (प्राइवेट) वस्त्र और [illegible] हो और वह उसे खरीदने में असमर्थ हो, तो उसे निर्मुक्ति के समय सामान्यत: कारा से बाहर व्यवहृत होनेवाला सामान्य [illegible] कंबल, धोती या पाजामा और कुर्त्ता उधार दिया जायगा।

(2) ये वस्तुए फारम 4 में दिये गए उसके अस्थायी निर्मुक्ति प्रमाण-पत्र में दर्ज कर ली जाएंगी और कैदी जेल लौटकर उन्हें वापस लेता आएगा।

15. निर्मुक्ति की शर्तें कैदी को समझा दी जाएंगी—कैदी के जेल छोड़ने से पहले, जेल का कोई पदा[illegible] अधीक्षक की उपस्थिति में, उसको निर्मुक्ति की शर्तें समझा देगा।

(2) उसे उसी समय उस तारीख की सूचना भी दे दी जाएगी जिस तारीख को उसे जेल लौटना है और यदि [illegible] करने में असफल रहेगा तो कोई भी पुलिस पदाधिकारी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा और उसकी सजा की [illegible] अवधि काटने के लिए जेल को सुपुर्द कर सकेगा। अस्थायी निर्मुक्ति की अवधि उसकी सजा की कुल अवधि में नहीं गिनी [illegible] वह अधिनियम की धारा 31-घ के अधीन भी दंडनीय होगा।

16. स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट—(1) फारम 3 में दिये गए अस्थायी निर्मुक्ति के आदेश में वह स्थान या वे स्थान [illegible] रहेंगे जहां कैदी अपनी अस्थायी निर्मुक्ति की अवधि के दौरान जा सकेगा या रह सकेगा।

(2) कैदी को फारम 3 में दिये गए निर्मुक्ति आदेश में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों में जाने की स्वतंत्रता [illegible]

(3) जिस स्थान पर वह रहना चाहता है उस स्थान पर पहुँचने के चौबीस घंटे के भीतर कैदी अपने पहुँचने की [illegible] *स्थानीय थाने के प्रभारी पदाधिकारी को दे देगा। उसी प्रकार वह अपने जाने की सूचना देगा।*

17. कैदी के नहीं लौटने पर की जानेवाली प्रक्रिया—(1) जो कैदी अपने लौटने को नियत तारीख को [illegible] तालाबंदी के पहले जेल में वापस नहीं लौटे, तो वह भागा हुआ कैदी समझा जाएगा।

(2) अधीक्षक ऐसे निकल भागने की सूचना, कैदी की विवरण नामावली उसके प्रार्थित पता और उन स्थानों के पते, [illegible] वह अपनी अस्थायी निर्मुक्ति के दौरान जाना चाहता था, तथा ऐसी अन्य उपलब्ध जानकारी के साथ, जिससे उसकी गिरफ्तारी [illegible] सुविधा हो, संबंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, को तुरंत देगा और उसकी प्रति महानिरीक्षक को भी भेज देगा।

18. नियत तारीख के बाद जेल लौटना—जब कैदी अपने लौटने की नियत तारीख के बाद स्वेच्छा से जेल लौट [illegible] तो उसे जेल में ले लिया जाएगा और लौटने में विलम्ब के कारणों सहित उसके लौटने की रिपोर्ट उन प्राधिकारियों के पास [illegible] भेज दी जाएगी जिन्हें नियम 17 के अधीन उसके निकल भागने की सूचना दी गयी हो।

19. महिला कैदियों की निर्मुक्ति—(1) जब किसी महिला कैदी को अस्थायी रूप से निर्मुक्त करना आशयित हो [illegible] वह पहले उस स्थान से निकटतम जेल में अन्तरित की जाएगी जिस स्थान पर वह अपनी अस्थायी निर्मुक्ति के दौरान रहना चाहती हो।

(2) वह उस जेल से निर्मुक्त की जाएगी जहां वह इस प्रकार अन्तरित की गयी हो और वह अपने लौटने की नियत [illegible] तक उसी जेल में लौट आएगी।

(3) जिस जेल से वह उप-नियम (1) के अधीन जेल में अंतरित की गयी हो उसका अधीक्षक उसके घर के पते पर [illegible] ऐसे संबंधियों, मित्रों या शुभेच्छुओं को जिन्हें उसने नाम निर्देशित किया हो, उसका निर्मुक्ति की तारीख की तुरंत सूचना [illegible] ताकि वे उसे लेने आ सकें और यदि वह 25 वर्ष से कम उम्र की हो और उसके बहकाये जाने की संभावना हो तो वह किसी [illegible] महिला वार्डर, यदि जेल से संबद्ध कोई महिला वार्डर हो, या किसी सम्भ्रान्त महिला, जिसे उसे पहुँचाने का भार सौंपा गया हो [illegible] के प्रभार में अपने घर भेजी जाएगी।

(4) यदि अनुरक्षिका सरकारी सेवक हो तो उसे दौरे पर की गयी यात्रा, के लिए दिये जानेवाले यात्रा-भत्ता की दर से यात्रा-
ा दिया जाएगा और यदि वह सरकारी सेवक नहीं हो तो वह जेल से जाने और जेल तक आने की यात्रा के वास्तविक खर्च
हकदार होगी।

फारम I

(नियम 4 द्रष्टव्य)

अस्थायी निर्मुक्ति के लिए आवेदन।

ा में,

जेल अधीक्षक,

... ...

1. मैं (नाम) ... ..., कैदी संख्या... ... ... कैदी (बिहार संशोधन) अधिनियम,
'56 के अधीन... ... ... दिनों की अस्थायी निर्मुक्ति के लिए आवेदन करता हूँ।

2. जिस विशेष कारण (पूरी विशिष्टियां और आधारों के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेज दें) से मैं यह अनुरोध करता हूँ। वह यह है—

अभ्युक्ति (यहां आधार आदि के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ें)।

3. मुझे कैद की अपनी वर्त्तमान अवधि के दौरान निम्नलिखित अवसरों पर अधिनियम के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति मंजूर
ी गई है :—

ल, जिससे निर्मुक्ति किया गया।	निर्मुक्ति की तारीख।	वापस लौटने की तारीख।	विशेष कारण यदि कोई हो, जिसके लिए निर्मुक्ति मंजूर की गयी।

4. मेरा स्थायी घर (ग्राम/नगर)... ... ... डाकघर... ... ... थाना... ... ... जिला... ... ...
... स्टेशन... ... ... में स्थित है।

5. मैं अपना नाम से परिवार के अन्य सदस्यों के साथ निम्नलिखित अचल सम्पत्ति का स्वामी हूँ और वह मेरे कब्जे में
।

6. मेरे परिवार में निम्नलिखित सदस्य है जो सम्पत्ति नीचे प्रत्येक के सामने उल्लिखित स्थानों में रहते हैं :—

संबंध।	उम्र।	पेशा।	वर्त्तमान।	निवास स्थान।
(1)				
(2)				
(3)				

7. जिस अपराध की सजा मै अभी भुगत रहा हूँ उससे भिन्न निम्नलिखित अपराधों का आरोप मुझ पर लगाया गया या
उनके लिए दंडादेश दिया गया है। जिस अपराध की सजा मैं अभी भुगत रहा हूँ उससे भिन्न किसी अपराध का आरोप मुझ पर
नहीं लगाया गया है या उसके लिए दंडादेश नहीं दिया गया है :—

8. जिन परिस्थितियों के अधीन मुझे सजा दी गई है और जिसे मैं भुगत रहा हूँ वे निम्नलिखित थीं (यदि निर्णय की प्रति
उपलब्ध हो, तो उसे संलग्न कर दें) :—

9. मेरी अपील... ... ... किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है। लंबित नहीं है।

(1) मुझे धारा ... ... /किसी भी धारा के अधीन किसी न्यायालय, के समक्ष अन्य आरोप (चार्ज) का उत्तर
देना है। नहीं देना है।

10. यदि अस्थायी निर्मुक्ति मंजूर की गई तो उस अवधि में मैं निम्नलिखित स्थान में रहूंगा :—
ग्राम/नगर... ... ... डाकघर... ... ... थाना... ... ... जिला... ... ... और निम्नलि
स्थानों पर जाना चाहता हूं :—

(1)

(2)

11. निम्नलिखित व्यक्ति मेरे लिए प्रतिभू हो सकेंगे :—

(1) नाम... ... ...
पेशा... ... ...
पता... ... ...
ग्राम/नगर... ... ...
डाकघर... ... ...
थाना... ... ...

(2) नाम... ... ...
पेशा... ... ...
पता... ... ...
ग्राम/नगर... ... ...
डाकघर... ... ...
थाना... ... ...
ताऐख... ... ...

हस्ताक्षर/बांए अंगूठा का नि

अधीक्षक की अभ्युक्ति।

(जो विशिष्टियां लागू नहीं हो उन्हें काट दें।)

भाग 2

1. ऊपर के आवेदन में उल्लिखित बातों पर थाने के प्रभारी पदाधिकारी का निष्कर्ष—

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में थाने के प्रभारी पदाधिकारी की राय—

(क) यदि आवश्यक समझा जाए तो आने-जाने पर विशेष निबंधन;

(ख) निर्मुक्ति की दशा में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले प्रतिभूओं की रकम और संख्या।

(ग) आवेदक द्वारा इसके प्रयोजनार्थ प्रतिभूओं के रूप में नामित व्यक्तियों की उपयुक्तता।

फारम 2

(नियम 8 द्रष्टव्य)

सदाचार के लिए बंध-पत्र

चूँकि मैंने (नाम)... ... ... कैदी संख्या... ... ... जो... ... ... जेल में... ... ... के कारावास की सजा भुगत रहा हूं, कैदी (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1956 के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति के लिऐ आवेदन है और मुझसे सरकार तथा भारत के सभी नागरिकों के प्रति सदाचार बरतने के लिए बंध-पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा व है। इसलिये, अब मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं कि मैं अस्थायी निर्मुक्ति यदि वह मुझे मंजूर की गई, और उ जाने और आने की अपनी यात्रा की अवधि में सरकार और भारत के सभी नागरिको के प्रति सदाचार बरतुंगा और ऐसी नि की शर्तों का पालन करना तथा इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा व्यक्तिक्रम किये जाने की दशा में, मैं अपने को आबद्ध करता हूं ... ... रु० की रकम सरकार को समपहृत हो जाएगी।

मेरे सामने निष्पादित किया गया।

तारीख ... ... ।

हस्ताक्षर/बांए अंगूठे का निशान।

अधीक्षक.........जेल

(जहां प्रतिभू या प्रतिभूओं सहित बंध-पत्र निष्पादित किया जाने वाला हो वहां निम्नलिखित जोड़ें।)

मैं/हम ऊपर नामित..............के लिए अपने को प्रतिभू घोषित करता हूं/करते हैं और यह घोषित करता हूं/करते हैं कि वह उक्त अवधि के दौरान सरकार और भारत के सभी नागरिकों के प्रति सदाचार बरतेगा तथा अस्थायी निर्मुक्ति की शर्तों का पालन करेगा और उस सम्बन्ध में उसके द्वारा कोई व्यतिक्रम किये जाने की दशा में, मैं/हम अपने को आबद्ध करता हूं/करते हैं कि... ... ... रु० की रकम सरकार को समपहृत हो जाएगी।

मेरे सामने निष्पादित किया गया।

तारीख... ... ...

हस्ताक्षर/बांए अंगूठे का निशान

अधीक्षक...........जेल।

फारम 3

(नियम 8 और 16 द्रष्टव्य)

अस्थायी निर्मुक्ति का आदेश

सेवा में,

जेल अधीक्षक... ... ... ।

चूंकि... ... ... कैदी सं०... ... ... ने जो... ... ... में कारावास की सजा भुगत रहा है अपनी अस्थायी निर्मुक्ति के लिए आवेदन किया है;

और चूंकि मैं... ... ... कैदी अधिनियम, 1900 की धारा 31 क की उपधारा (1) के अधीन सशक्त निर्मुक्ति प्राधिकारी होने के नाते संतुष्ट हो गया हूं कि आवेदन लोकहित को नुकसान पहुंचाये बिना मंजूर किया जा सकता है;

इसलिए अब मैं... ... ... इसके द्वारा आपको प्राधिकृत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उक्त कैदी को नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन जेल से जाने-आने की यात्रा के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर... ... ... दिनों की अवधि के लिए अभिरक्षा अस्थायी तौर पर निर्मुक्त कर दें।

1. कैदी सरकार और भारत के नागरिकों के प्रति सदाचार बरतेगा।

2. कैदी अपनी अस्थायी निर्मुक्ति की अवधि के दौरान... ... ... थाना... ... ... जिला... ... ... में निवास करेगा।

वह उक्त अवधि के दौरान (यदि कैदी को किन्हीं स्थानों पर जाने की अनुमति दी गयी हो, तो उन्हें विनिर्दिष्ट करें)... ... ... स्थानों पर जा सकेगा तथा उक्त अवधि के दौरान अन्य किसी भी स्थान पर नहीं जाएगा/जाएगी।

3. कैदी जिस स्थान पर रहना चाहता हो वहां पहुंचने पर चौबीस घंटे के भीतर अपने पहुंचने की सूचना स्थानीय थाने के प्रभारी पदाधिकारी को देगा। वह इसी प्रकार अपने जाने की सूचना देगा।

4. कैदी, उक्त अवधि समाप्त होने पर अपने को... ... ... जेल के अधीक्षक को सुपुर्द कर देगा।

5. कैदी, अपनी निर्मुक्ति के पहले, नीचे वर्णित प्रतिभू प्रस्तुत करेगा/करेगी रकम और प्रतिभूओं की संख्या विनिर्दिष्ट करें।

जिस स्थान पर कैदी अपनी अस्थायी निर्मुक्ति के दौरान रहना चाहता हो/चाहती हो वहां जाने/आने तक, सबसे कम दूरी वाले मार्ग से जाने और वहां से आने की यात्रा के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या (अवधि सन्निहित करें)।

हस्ताक्षर करा महानिरीक्षक,

बिहार।

पटना, तारीख... ... ...

1. कैदी का नाम... ... ... जन्म... ... ... संख्या।

(2)

2. पिता का नाम... ... ... ।
3. घर का पाता... ... ... ।
4. पहचान के मुख्य चिन्ह... ... ... ।
5. बायें अंगूठे का निशान... ... ... ।
6. अस्थायी निर्मुक्ति के आदेश की संख्या और तारीख... ... ... ।
7. अस्थायी निर्मुक्ति की तारीख... ... ...
8. जेल लौटने की नियत तारीख... ... ...
9. उधार दी गई जेल की वस्तुओं का वर्णन... ... ...
10. निर्मुक्ति की शर्तें (निर्मुक्ति आदेश में यथा उल्लिखित)... ... ...

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

अधीक्षक

तारीख... ... ...

(जेल की मुहर)

(3) The provision of Sec. 9 of the Lunatic Asylums Act, 1858 (36 of 1858), shall apply to every person confined in a lunatic asylum under sub-section (1) after the expiration of the term for which he was ordered or sentenced to be detained or imprisoned; and the time during which a prisoner is confined in a lunatic asylum under that sub-section shall be reckoned as part of the term of detention or imprisonment which he may have been ordered or sentenced by the Court to undergo.

[(4) In any case in which the [2]State Government] is competent under sub-section (1) to order the removal of a prisoner to a lunatic asylum or other place of safe custody within the [3]State] the [4]State Government] may order his removal to any such asylum or place within any other [4]State] or within any Part B State][3] by agreement with the [2]State Government] of such other [4]State], or with [5]such State or the Ruler thereof], as the case may be; and the provision of this section respecting the custody, detention, remand and discharge of a prisoner removed under section (1), shall, so far as they can be made applicable, apply to a prisoner removed under this sub-section.

Comments & case-law

[If an accused turns insane after conviction cannot take the plea of insanity and he has to be executed even if he has become insane. *Amrit Bhushan Gupta vs. Union of India,* AIR 1977 SC 608 : (1977) 1 SCC 180 : 1978 BLJR (SC) Summary 12. See also *Veena Sethi vs. State of Bihar,* 1983 PLJR 1 (SC). See also Cr. P.C. Chapter 25 Sections 328 to 339. See also Sections 27, 40 of the Mental Health Act, 1887.

This section does not empower the jail authorities to impose upon a prisoner under sentence of death additional and separate punishment of solitary confinement. *Smt. Tiveniben vs. State of Gujarat; Harbhajan Singh vs. State of J. & K.; Indian Council of Family and Social Welfare vs. State of Tamil Nadul; Guru Charan Singh vs. State of Punjab,* AIR 1989 SC 1335 : (1989) 1 SCC 678 : 1989 (1) BLJR (NOC) 13 (SC).]

This section precludes detention in solitary confinement. ibid.

This section is not volative of Article 20 of the Constitution of India. If the same punishment is not awarded twice. ibid.

31. *[Removal of prisoners from territories under one Local Government to territories under another, (Rep. by Sec. 4 and Sch. III of the Amending Act, 1903 (1 of 1903)].*

State Amendments

(Bihar Act 23 of 1956)

PART VI-A

After Part VI, the following Part shall be inserted, namely : —

31-A. Constitution of District Parole Board.—There shall be established for each district a District Parole Board consisting of the District Magistrate, the Superintendent of Police, two members of the State Legislature to be nominated by the State Government and the Superintendent of the District Jail, or if there is a Central Jail in the district, the Superintendent of the Jail.

31-B. Release of prisoners on parole.—The State Government, or any authority to which the State Government may delagate its powers in this behalf, may, on recommendation of the District Parole Board, direct that a prisoner may be released, either without conditions or upon such conditions as may be specified in the direction, for any period not exceeding thirty days at a time, excluding the time required for journeys and days of departure from, and the arrival at, the prison :

Provided that no prisoner shall be released under this sub-section, unless—

(a) he has served a period of not less than one year excluding remission of his sentence;

(b) his conduct in prison has been, in the opinion of the District Parole Board, uniformly good;

(c) there is, in the opinion of the District Parole Board, reasonable probability, that during the period of his release he shall not commit any crime; and

(d) in the case of a second or subsequent release, not less than six months have elapsed from the date of the expiry of his previous release :

Provided further that no prisoner shall be released under this sub-section more than three times

(2) The provisions of sub-section (1) shall not apply to a prisoner, —

(i) who has been convicted of an offence specified in the schedule annexed to this part; or

(ii) who has been classified as a habitual criminal under the rules made under the Prisons Act, 1894

---

1. Subs. by Sec. 2 and Sch. I of Devolution Act, 1920 (38 of 1920).
2. Subs. by the A.O. 1950 for "Provincial Government".
3. Subs. by A.O. 1950 for "Providence".
4. Subs. by A.O. 1937 for "the Local Government, and (subject to its orders and under its control)".
5. Subs. by the A.O. 1937, for "such native Prince of State".

of 1894), and has had more than three previous convictions.

(3) The period of release of prisoner under sub-section (1) shall count towards the total period of sentence, provided that he surrenders on the due date and his conduct has been satisfactory during period he was outside the jail on parole.

31-C. Power to release prisoners for special reasons.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 31-B or any other law for the time being in force, the State Government, or any authority to which the State may delegate its powers on the behalf, may, for any special reasons, direct that prisoner may be released for a period not exceeding fifteen days (excluding the time required for journeys and the days of departure from, or arrival at, the prison), either without conditions or upon the conditions specified in the direction as the prisoner accepts, and may, at any time cancel his release.

(2) The authority directing the release of any prisoner under sub-section (1) may require him to execute a bond with or without sureties for the due observance of the conditions specified in the direction.

(3) If any person released under sub-section (1) fails to fulfil any of the conditions imposed upon him under the said sub-section or in the bond entered into by him, the bond shall be liable to the penalty thereof :

Provided that no prisoner shall, without special sanction of the State Government, be released under this section, unless—

(i) he has served at least six months of his sentence including remissions;

(ii) his conduct has been, in the opinion of the Superintendent of the Jail in which he is serving his sentence, uniformly good;

(iii) he is not a habitual criminal under the rules made under the Prisons Act, 1894 (IX of 1894); and

(iv) the offence for which he has been convicted, does not, in the opinion of the authority directing the release, involve grave moral turpitude or mental depravity.

31-D. Surrender of a prisoner on the expiry of the period of a temporary release.—(1) Any prisoner released under section 31-B, or section 31-C, shall surrender himself to the Officer-in-charge of the prison from which he was released; and, if the prisoner does not surrender himself, he may be arrested by any police officer without a warrant and shall be remanded to undergo the unexpired period of his sentence.

(2) Any prisoner, who does not surrender himself as required by sub-section (1), shall be liable, on conviction, to be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or to a fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

31-E. Power to make rules.—The State Government may make rules for carrying out the purposes of this part.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision such rules may provide for—

(a) the procedure to be followed in respect of the proceedings for the release of prisoners;

(b) the conditions of release of prisoner including conditions for supervision during the period of such release;

(c) travelling allowances of prisoners during the period of release;

(d) restrictions on movements of prisoners during the period of release; and

(e) travelling allowance for non-official members attending, the meetings of the District Parole Board.

THE SCHEDULE

[See Section 31-B (2)]

1. An offence punishable under Section 119 of the Indian Penal Code.
2. An offence punishable under Sections 121, 121-A, 122, 123, 128 or 130 of the Indian Penal Code.
3. An offence punishable under Section 131 or 132 of the Indian Penal Code.
4. An offence punishable under Sections 194 or 195 of the Indian Penal Code.
5. An offence punishable under Sections 232, 235, 238 or 240 of the Indian Penal Code.
6. An offence punishable under Sections 302, 303, 306 or 307 of the Indian Penal Code.
7. An offence punishable under Sections 313, 314 or 316 of the Indian Penal Code.
8. An offence punishable under Sections 364, 366, 366-A, 366-B, 367 or 372 of the Indian Penal Code.